



UPM0010049142026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

दाण्डिक निगरानी संख्या-101/2026

अर्जुन सैनी बनाम उ०प्र० राज्य आदि।

20.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित।
2. पत्रावली सुनवाई हेतु नियत है, परन्तु प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त दाण्डिक निगरानी पर "बल नहीं देना है" का पृष्ठांकन किया गया अर्थात् प्रार्थी/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता दाण्डिक निगरानी पर बल नहीं देना चाहते हैं। तदनुसार दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।